157

संख्या :889/XLI-1/2016-34/2016

प्रेषक,

डी. सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर (गढवाल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 04 अगस्त, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 'आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष' में वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 490/XXVII-I/2016 दिनांक 31.03.2016, शासनादेश संख्या 847/XXVII (1)/2016 दिनांक 26.07.2016 एवं शासनादेश सं0– 414/XLI 1/2016–34/2016 07 अप्रैल 2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के आयोजनेत्तर पक्ष में एवं 'सामान्य पॉलीटैक्निक' के आयोजनेत्तर' व 'आयोजनागत' पक्ष में शेष 08 माह हेतु (01 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक) व्यस्थित धनराशि क्रमशः रू0 14176 हजार, रू0 308316 हजार तथा रू0 184881 हजार, अर्थात् कुल रू0 507373 हजार (रूपये पचास करोड़ तेहत्तर लाख तेहत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु अवमुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2016 एवं 26.7.2016 में वित्त विभाग द्वारा दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त शासनादेश दिनांक 26.07.2016 के प्रस्तर–10 के प्राविधानानुसार अवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जाएगा।
3. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. फर्नीचर व उपकरणों आदि का क्रय पदधारकों हेतु नियमानुसार निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
7. कम्प्यूटर आदि क्रय के पूर्व एन.आई.सी./आई.टी. विभाग की नियमानुसार संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. फर्नीचर/उपकरण/कम्प्यूटर आदि के आवंटन के समय पदधारकों को नियमानुसार अनुमन्यता एवं न्यूनतम आवश्यकता का परीक्षण कर लिया जाएगा।
9. उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2017 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में आय–व्ययक के 'अनुदान संख्या–11' के 'आयोजनागत' एवं 'आयोजनेत्तर' पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक संख्या "2203– तकनीकी शिक्षा–00–105–बहुशिल्प (पॉलीटैक्निक) विद्यालय–00–03–सामान्य पॉलीटैक्निक" तथा 'आयोजनेत्तर' पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक संख्या

"2203–तकनीकी शिक्षा–00–001–निदेशन तथा प्रकाशन–00–03–प्राविधिक शिक्षा निदेशालय" के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश शासनादेश संख्या 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या **संलग्नक–1** के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2016 एवं दिनांक 26.07.2016 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(डी. सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव,

संख्या : 889 (1)/XLI(1)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक, उत्तराखण्ड (द्वारा निदेशक)।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।